



The Jharkhand Municipal (Amendment) Act, 2006

Act 3 of 2007

Keyword(s):

Penal Provision, Amount of Fine, Reserved Seat

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-82

26 माघ, 1928 शकाब्द

राँची, बृहस्पतिवार 15 फरवरी, 2007

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

15 फरवरी, 2007

संख्या-एल०जी०-३/२००६-०९/लेज०१--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 7 फरवरी, 2007 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2006
(झारखण्ड अधिनियम 03, 2007)

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

प्रस्तावना :-

वर्तमान में बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1922 जो झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत है, की दण्ड संबंधी धाराओं-103(1)(2), 108(4), 150(B)(3), 151, 159, 168, 174(2), 175(2), 176(2), 180(5), 182, 184(2), 192, 193, 194(2), 203(1)(2), 211, 212(2), 214(2), 215(2), 218(2), 220, 220A(2), 225(2), 227(2), 228(2), 230(2), 233(2), 236(2), 240(2), 242, 251(2), 256(1)(2), 263, 264(A)(7), 271(3), 277, 278, 279(4), 281(3), 282(2), 283(2), 288(1), 289(2), 310(1), 311, 312, 321(1)(2), 322, 323, 328(1), 329, 331(2), 332, 333, 336, 351(2), 361 में नगरपालिका एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्रान्तर्गत देव नागरिक सुविधा से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान किया गया है जिसमें दण्ड राशि का उल्लेख किया गया है । प्रत्येक धारा में अलग-अलग दण्ड की राशि तय है, जो वर्तमान समय में काफी कम है अतएव दण्ड की राशि में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है । इससे निकायों के राजस्व में वृद्धि होगी ।

इसी प्रकार, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 में आयुक्तों के पद पचास प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के बीच आरक्षित करने के लिए धारा-13 की उपधारा 3 (a) में अन्तःस्थापन का प्रस्ताव है, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए वार्ड आयुक्तों के पद पचास प्रतिशत की सीमा तक आरक्षित करना आवश्यक है ।

इसलिए, भारत गणराज्य के 57वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ -
 (i) यह अधिनियम “झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम - 2006” कहा जा सकेगा ।
 (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
 (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 की धारा-13(3)(a) में अन्तःस्थापन के संबंध में :-
 झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा- 13(3)(a) के चौथी पंक्ति में वर्णित शब्द “कुल जनसंख्या से है” के पश्चात् एवं “और ऐसे स्थान” के पूर्व निम्न वाक्यांश अन्तःस्थापित किए जायेंगे -
 “परन्तु आरक्षित सीटों की संख्या नगरपालिका की सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत तक सीमित रहेगा”

3. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 की दण्ड संबंधी धारा का संशोधन :-
 (i) धारा-103(1) में अंकित बीस (20) रूपये के स्थान पर डेढ़ हजार (1500) रूपये एवं पाँच (5) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर सौ (100) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

 (ii) धारा-103(2) में अंकित दो सौ (200) रूपये के स्थान पर दो हजार (2000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

 (iii) धारा-108(4) में अंकित दस (10) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

 (iv) धारा-150(B)(3) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पांच सौ (500) रूपये एवं एक (1) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर पचीस (25) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

 (v) धारा-151 में अंकित दो (2) रूपये प्रतिवर्ष के स्थान पर दस (10) रूपये प्रतिवर्ष प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

 (vi) धारा- 159 में अंकित पाँच (5) रूपये के स्थान पर पन्द्रह (15) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

 (vii) धारा- 168 में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

 (viii) धारा- 174(2) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

 (ix) धारा- 175(2) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

- (x) धारा- 176(2) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पन्द्रह सौ (1500) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xi) धारा- 180(5) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पन्द्रह सौ (1500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xii) धारा- 182 में अंकित पच्चीस (25) रूपये के स्थान पर दस हजार (10000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xiii) धारा- 184(2) में अंकित बीस (20) रूपये के स्थान पर दो हजार (2000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xiv) धारा- 192 में अंकित पाँच सौ (500) रूपये के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिवर्गफीट प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xv) धारा- 193 के प्रावधान अधोलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा -
किसी हालत में जहाँ कमिशनर यह समझे की किसी जमीन पर किसी इमारत या इमारत के किसी हिस्से का उठवाना, फिर से उठवाना या उसमें परिवर्तन करना या कुआँ बनवाना या उसको बढ़वाना धारा-192 के अनुसार अपराध है तो वे उस जमीन के मालिक का दाखिलदार को एक लिखित नोटिस देकर ऐसे उठाने, फिर से उठाने, बदलने, बनाने या बढ़ाने को रोक देने या ध्वस्त करने के लिए कह सकते हैं । यदि दाखिलदार या जमीन मालिक धारा-192 में यथा प्रावधानित दण्ड शुल्क के भुगतान के बाद भी निदेश के अनुपालन करने में विफल होते हैं तो सूचना देने के सात दिनों बाद कमिशनर को उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अधिकार होगा और ध्वस्त करने में होने वाले व्यय की वसूली जमीन के मालीक या दाखिलकार से ही की जायेगी ।
- (xvi) धारा- 194(2) में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये एवं बीस (20) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ (200) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xvii) धारा- 203(1) में अंकित पच्चास (50) रूपये के स्थान पर दो हजार (2000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xviii) धारा- 203(2) में अंकित पच्चास (50) रूपये के स्थान पर तीन हजार (3000) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xix) धारा- 211 में अंकित पच्चास (50) रूपये के स्थान पर ढेढ़ हजार (1500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xx) धारा- 212(2) में अंकित पच्चीस (25) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xxi) धारा- 214(2) में अंकित बीस (20) रूपये के स्थान पर दो सौ (200) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

- (xxii) धारा- 215(2) में अंकित पच्चीस (25) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xxiii) धारा- 218(2) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xxiv) धारा- 220 में अंकित पच्चास (50) रूपये के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xxv) धारा- 220(A)(2) में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xxvi) धारा- 225(2) में अंकित पच्चास (50) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xxvii) धारा- 227(2) में अंकित पच्चास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xxviii) धारा- 228(2) में अंकित पच्चास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xxix) धारा- 230(2) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xxx) धारा- 233(2) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xxxi) धारा- 236(2) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ (200) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xxxii) धारा- 240(2) में अंकित पच्चीस (25) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xxxiii) धारा- 242 में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xxxiv) धारा- 251(2) में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxv) धारा- 256(1) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर दो सौ (200) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxvi) धारा- 256(2) में अंकित दस (10) रूपये के स्थान पर दो सौ (200) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxvii) धारा- 263 में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxviii) धारा- 264(A)(7) में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxix) धारा- 271(3) में अंकित पच्चीस (25) रूपये के स्थान पर दो सौ (200) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर पचास (50) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xL) धारा- 277 में अंकित दो सौ (200) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये एवं चालीस (40) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLi) धारा- 278(4) में अंकित दस (10) रूपये के स्थान पर दो सौ (200) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLii) धारा- 279(4) में अंकित बीस (20) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLiii) धारा- 281(3) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLiv) धारा- 282(2) में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये एवं बीस (20) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ (200) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLv) धारा- 283(2) में अंकित दो सौ (200) रूपये के स्थान पर दो हजार (2000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLvi) धारा- 288(1) में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLvii) धारा- 289(2) में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये एवं बीस (20) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

- (xLviii) धारा- 310(1) में अंकित पाँच (5) रूपये के स्थान पर पचास (50) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (xLix) धारा- 311 में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (L) धारा- 312 में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (Li) धारा- 321(1) में अंकित बीस (20) रूपये के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (Lii) धारा- 321(2) में अंकित पाँच (5) रूपये के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (Liii) धारा- 322 में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (Liv) धारा- 323 में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (Lv) धारा- 328(1) में अंकित दो सौ (200) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (Lvi) धारा- 329 में अंकित पाँच (5) रूपये के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (Lvii) धारा- 331(2) में अंकित बीस (20) रूपये के स्थान पर दो सौ (200) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (Lviii) धारा- 322 में अंकित दस (10) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (Lix) धारा- 333 में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (Lx) धारा- 336 में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (Lxi) धारा- 351(2) में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lviii) धारा- 469(2) में अंकित बीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lix) धारा- 471(2)(d) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर दस हजार रूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर पाँच सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lx) धारा- 472 में अंकित पच्चीस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

5. निरसन एवं व्यावृति :-

- (i) निरसन :- राँची नगर निगम (अंगीकृत एवं संशोधित) अधिनियम - 2001 की दण्ड संबंधी धाराओं के संशोधन, प्रतिस्थापन एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु प्रावधान करने के लिए राँची नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश - 2006 (झारखण्ड अध्यादेश, 03, 2006) को इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।
- (ii) व्यावृति :- ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा अथवा के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अथवा कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया था, अथवा की गयी थी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन यह कार्य किया गया था अथवा कार्रवाई की गई थी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।